IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 24, Issue 2, Ser. 1 (February. 2019) 103-108
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

वैदिक काल मे नारी शिक्षा व सामाजिक स्थिति का ऐतिहासिक अध्ययन

सुनील कुमार बौद्ध

प्रवक्ता,, इतिहास विभाग, बाबा मोहनराम किसान सह शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिवाड़ी, (अलवर) राजस्थान

सारांश

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का ऐतिहासिक अध्ययन बताता है कि उस समय महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था और उन्हें शिक्षा, धार्मिक कार्यों, और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। हालांकि, उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति में कुछ गिरावट देखी गई। वैदिक समाज में हमें पर्याप्त सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है। यही कारण है कि वैदिक युग की महिलाएं अभी भी महिलाओं के लिए आदर्श बनी हुई हैं। जब हम वैदिक काल के समाज में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करते हैं, तो यह ज्ञात है कि परंपरागत रूप से भारत के इतिहास में, महिलाओं की स्थिति दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक थी।वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसमें गिरावट आई। महिलाओं को शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन धीरे–धीरे उनकी स्वतंत्रता कम होती गई ।

शब्द कुंजियाँः वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, वैदिक काल में नारी, वैदिक काल में नारी शिक्षा में की स्थिति, वैदिक काल में स्त्री की स्थिति की प्रासंगिकता व निष्कर्ष।

परिचय :–

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का सामान्यीकरण करना कठिन है, क्योंकि ऋग–वैदिक काल और उत्तर–वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में अंतर था। ऋग–वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा, यज्ञ, और सामाजिक गतिविधियों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। वे सभा और समितियों में भाग लेती थीं, और कुछ महिलाएं तो ऋग्वेद के मंत्रों की रचयिता भी थीं। हालांकि, उत्तर–वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों से वंचित किया जाने लगा, और बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ समाज में प्रवेश करने लगीं।

वैदिक काल में, समाज में रहने वाली हर जाति, वर्ग, वर्ग और महिला को भी हर क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता मिली। वैदिक समाज में हमें पर्याप्त सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है। यही कारण है कि वैदिक युग की महिलाएं अभी भी महिलाओं के लिए आदर्श बनी हुई हैं।

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा, धार्मिक क्रियाओं, और सामाजिक जीवन में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। वेदों में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था और उन्हें देवी–देवताओं के समान माना जाता था। हालांकि, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में कुछ गिरावट आई, लेकिन फिर भी, वैदिक काल में महिलाओं को जो सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त थी, वह अद्वितीय थी।

उद्देश्य :–

1. वैदिक काल में नारी की स्थिति का ऐतिहासिक अध्ययन करना ।

2. वैदिक काल में नारी शिक्षा की विवेचना करना।

परिकल्पना :–

1. वैदिक काल की नारी की स्थिति सुदृढ़ रही है ।

2. वैदिक काल में नारी शिक्षा के समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं ।

अध्ययन विधि और आंकड़ों का संग्रहः –

प्रस्तुत अध्ययन के लिए ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस अध्ययन के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों को शामिल किया गया है। डेटा का संकलन डायरी, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और पुस्तकों के माध्यम से किया गया है।

वैदिक काल में नारी :–

प्राचीन समय में नारी की स्थिति के बारे में वर्तमान भारतीय समाज के लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। क्योंकि प्राचीन भारत में नारी की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक स्थिति पर बहुत कम शोध हुआ है। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी इस पर विद्वानों में मतभेद है। नारीयों की स्थिति के बारे में साहित्य भी कम ही उपलब्ध हैं और इन गिनी चुनी पुस्तकों में विषय से संबंधित विवरण संक्षिप्त रूप में उपलब्ध है। डा. लता सिंघल ने अपनी पुस्तक "भारतीय संस्कृति में नारी" में नारी की स्थिति का सटीक चित्रण किया है।

किसी भी देश, काल, समाज के निर्माण में नारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परन्तु सदियों से हमारे समाज में नारी को दूसरा दर्जा प्राप्त है, यह दलील दी जाती रही है कि स्त्रियाँ सभी देश काल में पुरुषों के अधीन रही हैं इसका मूलाधार जैविक है।

विभिन्न समीक्षात्मक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि सामुदायिक संगठनों का स्वरूप चाहे पितृवंशिक रहा या मातृवंशिक आरम्भमें स्त्री पुरुष संबंध पारस्परिकता और अपने–अपने क्षेत्रों में स्वायत्ता पर आधारित थे, परवशता पर नहीं। साथ ही यह बात भी अब लगभग सर्वमान्य है कि मातृवंशिक समुदायों में स्त्रियों को अधिक स्वायत्ता और स्वतंत्र अधिकार हासिल थे, जैसे–जैसे सामाजिक विषमता बढ़ी और निजी सम्पत्ति का विकास हुआ, वास्तविक सत्ता पुरूषों के हाथ में आ गई। पुरूष प्रधान समाज में सारे कायदे कानून पुरूषों ने अपने हितों, अधिकारों और सुविधाओं को ध्यान में रख कर बनाए।

हालांकि परोक्ष रूप से तो नारी को बराबर के अधिकार दिये गए, देवी का दर्जा दिया गया लेकिन वास्तविक रूप में तो सारे अधिकार गौण रूप में ही प्राप्त हैं। यदि प्राचीन समय से पूर्व मध्य युग तक देखें तो भारतीय समाज में नारी को बहुत उच्च दर्जा प्राप्त था। पूर्ण सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक अधिकार प्राप्त थे। लेकिन मुगलों के आगमन के साथ ही नारी की स्थिति में गिरावट आती चली गई, नारी घर में कैद होती गई, नारी के अधिकार व स्वतंत्रता छिनती चली गई।

प्राचीन भारतीय समाज को पूर्णरूप से समझने के लिए विभिन्न कालों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक, धार्मिक स्थितियों को जानना जरूरी है। समाज के इस आधे अंग (स्त्री) की स्थिति विभिन्न कालों में इस प्रकार है।

इस काल में नारी को कन्या के रूप में सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त था। पत्नी को सम्पत्ति की देवी कहा जाता था। विधवा का सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। पत्नि का अपने परिवार में सम्मान था।

प्राचीन युग में भारत की स्त्रियों को शिक्षा व यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। प्रत्येक सामाजिक व धार्मिक कार्यों में स्त्रियों की उपस्थिति अनिवार्य थी। उस समय नियोग प्रथा बहुप्रचलित थी। स्त्री सन्तान उत्पन्न न होने पर या अच्छी सन्तान के लिए नियोग कर सन्तान प्राप्त कर सकती थी। विधवा को पुनः विवाह करने का अधिकार था। वैदिक युग में विधवा को पुनर्विवाह प्रचलित था, दूसरा समाज में नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। जिसके द्वारा विधवा पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। डॉ. अल्तेकर पोजिशन ऑफ वूमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन पृष्ठ सं. 174, 179. पर्दा प्रथा का नामोनिशान नहीं था। स्त्रियों को उपहार में संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। समाज में एक विवाह प्रथा प्रचलित थी। इस काल में स्त्रियों को सामाजिक धार्मिक व राजनीति आदि के क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे।

उत्तर वैदिक व महाकाव्य काल में स्त्रियों के साथ भेदभाव की स्थिति में परिवर्तन आने लगा। उनकी धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियों पर प्रतिबंध लगने लगा। उन्हें वेद पढने व मंत्रोचारण के उपयुक्त नहीं समझा गया।

"यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र देवता अद्यति"

(जहां स्त्रियों को पूजा जाता है वहां देवता निवास करते हैं)

प्राचीन भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति :–

अति प्राचीन काल में भारतीय समाज में स्त्रियों को आदर व सम्मान प्राप्त था। स्त्री–पुरूष में कोई भेद नहीं था। दोनों की सामाजिक परिस्थितियाँ समान थी तथा प्रत्येक सामाजिक धार्मिक कार्यों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी। लड़कियाँ ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। आश्रम में शिक्षा प्राप्त करती थी। सह शिक्षा का अधिकार था। अध्ययन के पश्चात् कुछ स्त्रियाँ अध्यापन कार्य करती थीं। उपनिषदों में स्त्री शिक्षिकाओं का वर्णन है। शिक्षिकाओं को "उपाध्याया" कहा जाता था। परन्तु शिक्षिकाओं की संख्या अधिक नहीं थी।

वैदिक काल में स्त्रियां बुद्धि व शिक्षा में अग्रणी थी। यजुर्वेद के अनुसार इस काल में कन्या का उपनयन संस्कार होता था। उसे सन्ध्या करने का अधिकार था। रामायण में विवरण है कि सीता नियमित रूप से संध्या पाठ करती थी। जिसे डॉ. अल्तेकर ने पोजिशन ऑफ वूमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन पृष्ठ सं. 11 में वैदिक मंत्रों का पाठ माना है। वे तर्क शास्त्र व वाद–विवादों में पारंगत थी। इस काल में सुलभा, गार्गी, मैत्रयी आदि के नाम अविस्मरणीय हैं।

रोमशा, उवर्शी, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, इत्यादि कवियित्रियां भी काफी लोकप्रिय थीं।

लड़कियों का विवाह युवावस्था में होता था, वे अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र थी। महाकाव्यों में इसका वर्णन है। उदाहरण के लिए :– (प) रामायण का सीता स्वयंवर, (पप) महाभारत में द्रोपदी स्वयंवर।

उनकी यह धारणा उत्तर वैदिक काल में व्यवहारिक नहीं लग रही थी। हिन्दु समाज में पुत्री होने पर पुत्र के समान स्वागत नहीं किया जाता क्योंकि वह धार्मिक कार्यों के उपयुक्त नहीं थी।

स्त्रियों को जन्म से मृत्यु तक पिता, भाई व पति के अधीन बना दिया गया। लड़की का जन्म परिवार के लिए समस्या बन गया और उसका जन्म अभिशाप माना जाने लगा। विवाह के पश्चात् उससे गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाने की अपेक्षा की जाती थी।

स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना बंद कर दिया गया था। परन्तु कुछ पदों पर स्त्रियों के पदासीन होने के संकेत मिले हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहीं–कहीं स्त्रियों के धार्मिक शिक्षक होने का जिक्र है। कुछ स्त्रियों द्वारा संगीत, नृत्य, चित्रकला, आदि की शिक्षा प्राप्त करने का भी उल्लेख है। शिक्षा की कमी थी कारण बाल विवाह प्रचलन में आए।

वैदिक काल में अवयस्क कन्या को सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। परिवार में वह दत्तक पुत्र से श्रेष्ठ मानी जाती थी। मनु के अनुसार भाई अपने–अपने भाग का चतुर्थ भाग अविवाहित बहनों को देते थे और उनका विवाह संस्कार करते थे। विवाह के व्यय को ध्यान में रखते हुए नारद ने कहा, कि यदि पिता अपने जीवन काल में सम्पत्ति का विभाजन करे तो अविवाहित कन्याओं को उनका भाग मिलना चाहिए। प्राचीन काल में विवाहित नारियों को सम्पत्ति के अधिकार प्राप्त थे, किन्तु अविवाहित नारियों को सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नहीं माना गया था। पुत्र विहीन परिवारों में पिता की मृत्यु के उपरान्त सम्पत्ति का पूर्ण अधिकार उसकी लड़की / लड़कियों का हो जाता था। डॉ. पी.वी. काणे के अनुसार, "कात्यायन स्मृति सारोद्वार" पत्नी की अपनी कोई सम्पत्ति नहीं होती। वह जो उपार्जित करती है वह उसके पति का होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार पत्नि–पति की अर्द्धांगिनी होती है। उनका संबंध अविच्छेद है अतः विधवा को पति की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी मानना चाहिए। स्त्री पति की सम्पत्ति का मृत्युपर्यन्त उपभोग कर सकती है किन्तु उसे सम्पत्ति को दान विक्रय और गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त नहीं था।

नारी की कुछ ऐसी सम्पत्ति भी होती है जिस पर केवल उसी का व्यक्तिगत अधिकार होता है। इसे वह अपनी इच्छानुसार व्यय भी कर सकती थी। पिता, माता, पति, भाई द्वारा दिया गया धन, विवाह में प्राप्त उपहार, आभूषण अग्नि के समक्ष प्राप्त घन स्त्रीधन कहा जाता था। स्त्रीधन को उसके जीवित रहते कोई नहीं ले सकता था। ना ही उसकी इच्छा के विरूद्ध उसका उपयोग कर सकता था। स्त्रीधन का उपयोग पति आपात काल में ही कर सकता था।

वेदों में महिलाओं का महत्वः –

वैदिक काल में बेटे और बेटी के सामाजिक और धार्मिक अधिकारों में बहुत अंतर नहीं था। वैदिक शिक्षा प्रणाली और स्वतंत्र और समतावादी समाज का प्रभाव था कि वैदिक काल में कई विद्वानों के छंदों की रचना की गई थी। वैदिक भजनों की रचना करने वाली महिलाओं की संख्या 20 से अधिक है, जो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि वैदिक काल की महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। ब्रह्मवादिनी ममता लंबे समय तक रहने वाली संत की मां थीं। यह महान विद्वान और ब्रह्म ज्ञानी थे। अग्नि के निमित्त उनका पाठ ऋग्वेदसंहिता के प्रथम मंडल के दसवें सूक्त के श्लोक में मिलता है। अत्रि महर्षि के वंश में पैदा हुए विश्ववारा ने ऋग्वेद के पाँचवें मंडल के अट्ठाईसवें सूक्त में वर्णित छह संस्कारों की रचना की। ब्रह्मवादिनी अपाला ने ऋग्वेद की अस्सी–आठ मंडलियों के 91 वें सूक्त के एक से सात तक के श्लोकों का संकलन किया है। इसी प्रकार, ब्रह्मवादिनी घोष एक प्रख्यात विद्वान थी। उन्होंने ब्रह्मचारिणी कन्या के सभी कर्तव्यों का उल्लेख दो सूक्तों में दो ब्रह्मचारिणी के रूप में किया है। इस आख्यान का संकेत ऋग्वेद के दसवें मण्डल के 39 वें से 41 वें सूक्त में मिलता है। ब्रह्मवादिनी सूर्या ने ऋग्वेद के विवाह पद्य की रचना की है। जो ऋग्वेद के दसवें मण्डल के 85 वें सूक्त का 47 वाँ भजन है। वैदिक छात्रों के इसी क्रम में, ब्रह्मवादिनी वक्र, जो राजदूत ऋषि की बेटी थी। वह प्रसिद्ध ब्रह्म ज्ञानी थीं और भगवती देवी के साथ एकात्मता प्राप्त की। ऋग्वेद संहिता के दसवें मण्डल के 125 वें सूक्त में दंउम देवी सूक्त 'के नाम से आठ मन्त्रों की रचना हुई है। चंडीपाठ के साथ इन आठ मंत्रों का पाठ बहुत महान माना जाता है। शिक्षा या ज्ञान व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करता है और उसे उसके अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत कराता है। ये सभी तर्क और संवाद में व्यक्त किए गए हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच तर्क और संवाद को प्रगतिशील समाज की निशानी माना जाता है, जो अभी भी कई देशों में नहीं बल्कि विकसित देशों में भी पर्याप्त है। वैदिक युग की विद्वान महिला होने का उदाहरण उनकी विद्वता की बहस में दिखता है। इसी तरह का उदाहरण बुधनारायणक उपनिषद में मिलता है। विदेह के राजा जनक के दरबार में, जहाँ ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ वाद–विवाद में अन्य ऋषियों की हार हुई थी, वचक्रवी गार्गी (ऋषि वचरु की पुत्री होने के नाते) से सबसे अधिक तीक्ष्ण प्रश्न आया था, हालाँकि बाद के गार्गी में याज्ञवल्क्य को भी माना जाता था। लोहा होना। याज्ञवल्क्य का यह भी कहना था – "यह एक अतिशयोक्ति है।" गार्गी! यह उत्तर की सीमा है, अब कोई और प्रश्न नहीं हो सकता है। अब तुम मत पूछो, अन्यथा तुम्हारा सिर गिर जाएगा। "प्रस्तुत कथानक गार्गी की पुरानीता और समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार की बहस या दार्शनिक बातचीत न केवल अविवाहित महिलाओं द्वारा, बल्कि विवाहित महिलाओं द्वारा भी की जाती थी। मैत्रेयी, ऋषि यज्ञोपवीत की पत्नी जो एक आत्म–विद्वान थीं। मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद मानव जीवन की दशा और भौतिक जीवन की सीमाओं पर सवाल बहुत ही सुंदर और गहरा है, यह न केवल प्राचीन भारत के संदर्भ में, बल्कि आधुनिक दुनिया में भी महत्वपूर्ण है। नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अर्मत्य सेन भी। यह मानना है कि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवादों ने उन्हें विकास के बारे में एक अलग दृष्टिकोण दिया, यह विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसे केवल जीडीपी और जीएनपी जैसे मानकों से नहीं मापा जा सकता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वैदिक भारत में महिला शिक्षा ने सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं।

वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षाः –

जब हम वैदिक काल के समाज में महिलाओं की स्थिति पर विचार करते हैं, तो यह ज्ञात है कि परंपरागत रूप से भारत के इतिहास में, महिलाओं की स्थिति दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक थी। भारतीय धर्म को छोड़कर, दुनिया में कोई भी धर्म एक महिला को इतनी प्राथमिकता नहीं देता है। इसका एक सुंदर उदाहरण हिंदू विवाह प्रणाली है। भारतीय हिंदू संस्कृति में विवाह को एक धार्मिक कार्य माना जाता है। विवाह में कन्यादान कन्या पक्ष की ओर से किया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि लड़का पक्ष याचिकाकर्ता है और लड़की पक्ष दाता है और दानदाता पक्ष हमेशा याचिकाकर्ता से बड़ा होता है। इस प्रकार का एक और उत्कृष्ट विचार शास्त्रों में पाया गया है कि भगवान ने इस

दुनिया के दो हिस्सों को एक पुरुष और एक अन्य महिला में विभाजित किया है, अर्थात् महिला और पुरुष को समान स्थान देना। इसके अलावा, अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है, यह कहा जाता है कि मानव जीवन पुरुषों और महिलाओं के मिलन से विकसित हुआ है। यह यह भी इंगित करता है कि पुरुष और महिला पूरी तरह से समान हैं और उनमें एक के गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकते।

उपर्युक्त कथन यह साबित करते हैं कि वैदिक कालान समाज एक प्रगतिशील, आशावादी समाज था जहाँ पुरुष और महिला को समान दर्जा प्राप्त था। प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली वैदिक युग की प्रगति के लिए जिम्मेदार थी। प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य शिष्य का सर्वांगीण विकास करना, उसकी ज्ञान ज्योति को जगाना, उसे दृढ़ बनाना और उसके जीवन को पूरी तरह से भाग्यशाली बनाना था। व्युत्पत्ति (सुमति, विवेक) को विद्या के साथ भी समन्वित किया जाना चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि धी (विवेक) सरस्वती के साथ होना चाहिए। यह यहाँ है कि तर्क, तर्क आधुनिक सभ्यता का आधार है जो वैदिक सभ्यता में परिलक्षित होता है। वेदों में यह भी कहा गया है कि एक साधारण शिक्षा या मुक्ति का अर्थ है कि व्यक्ति एक व्यक्ति को उदार बनाता है। संभवतः यही कारण था कि वैदिक काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी बुराइयाँ प्रचलित नहीं थीं। वह त्योहारों और यज्ञों में भाग लेती थी। उसके पास पर्याप्त स्वतंत्रता थी। शिक्षा के महत्व को देखते हुए, वेदों में महिला शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था दिखाई देती है। वेदों में शिक्षा को आश्रम व्यवस्था और सोलह संस्कारों से जोड़ा गया है। औपचारिक शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार और इसके साथ ही ब्रह्मचर्य आश्रम से होती है। शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार से हुई और समापन संवतारण संस्कार से हुआ। उपनयन संस्कार (जनेऊ पहनना) विद्या का प्रतीक था। इस संस्कार के बाद, शिष्यों और शिष्यों ने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। लड़कों की तरह लड़कियों की भी बलि दी जाती थी। वह भी मखमल पहनती थी। छात्राओं को ललित कला सिखाई गई। जिस तरह लड़कों को शादी से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, उसी तरह लड़कियां भी ब्रह्मचारी थीं। उसने एक मेखला भी पहनी थी – हम ऊपर के अर्थवेद, ब्रह्मचर्य कन्या युवनाम विंदते पतिम (11.5.17) में भी उल्लेख करते हैं। बच्चों ने स्नातक स्तर पर शादी की, कुछ आजीवन ब्रह्मचारी थे। इसी प्रकार, लड़कियों ने भी स्नातक होने के बाद शादी कर ली, उन्हें 'सद्योदवाह' कहा और कुछ आज़म ब्रह्मचारिणी रहीं, उन्हें 'ब्रह्मवादिनी' कहा गया। वह तपस्या जीवन का आनंद लेती थी और शास्त्र चर्चा में तल्लीन थी। गार्गी, मैत्रेयी ऐसी ब्रह्मवादिनी महिलाओं में उल्लेखनीय हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थितिः –

वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था और वेदों के अनुसार, शिक्षा ग्रहण करना उनके लिए आवश्यक माना जाता था। उन्हें लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी।

वैदिक काल में नारी शिक्षा के बारे में कुछ मुख्य बातेंः

शिक्षा का अधिकार :–

ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान उपनयन संस्कार और वैदिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था।

शिक्षा के प्रकार :–

उन्हें लौकिक शिक्षा (जैसे संगीत, नृत्य, गायन, चित्रकला) और आध्यात्मिक शिक्षा (जैसे वेद, शास्त्र) दोनों दी जाती थी।

दो प्रकार की महिलाएँ :–

वैदिक काल में दो प्रकार की महिलाएँ शिक्षा ग्रहण करती थीं: ब्रह्मवादिनी (जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं और शास्त्रों का अध्ययन करती थीं) और सद्योदवाहा (जो विवाह से पहले तक शिक्षा ग्रहण करती थीं)।

गुरुकुल में शिक्षा :–

कुछ महिलाओं को गुरुकुल में लड़कों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर मिलता था।

महत्वपूर्ण भूमिका :–

वैदिक काल में महिलाएं न केवल शिक्षा ग्रहण करती थीं, बल्कि धार्मिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती थीं, और कुछ महिलाएं तो ऋषिका (विदुषी) भी बनीं, जैसे गार्गी और मैत्रेयी।

सामाजिक स्थिति :–

वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा को महत्व दिया जाता था, और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था।

वर्तमान से तुलना :–

प्राचीन काल में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति वर्तमान की तुलना में बेहतर थी।

संक्षेप में, वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू था, और उन्हें ज्ञान प्राप्त करने और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था।

बेटे की तरह, बेटी के भी उपनयन संस्कार होते थे, जिन्हें शिक्षा की शुरुआत माना जाता था, लड़कियों की तरह, लड़कियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। यद्यपि उनके लिए बच्चों की तरह कोई अलग गुरुकुल नहीं थे, फिर भी महिला शिक्षा प्रचलित थी। वेदों के दौरान, माता–पिता की यह भी इच्छा थी कि उनकी बेटी पुजारी बने। ऋग्वेद में, लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, निववारी, विश्ववारा, आदि महिलाओं का उल्लेख है।

ऋग्वेद के पहले मंडल के 126 वें सूत्र के लेखक, रोमाशा को माना जाता है। संभवतः उनमें से कुछ शिक्षण कार्य भी करेंगे। उस समय महिलाएँ अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थीं। अतः, यह स्पष्ट है कि वैदिक मंत्रों के उचित पाठ के लिए, उन्हें वेध्याय भी करना चाहिए।

ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी उपनिषद काल में परम विद्वान थीं। वह धन से अधिक ज्ञान की कामना करती है। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख किया गया है कि उसने याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी कात्यायनी के पक्ष में अपने संपत्ति के अधिकार को छोड़ दिया था और अपने पति से केवल आत्मज्ञान के लिए प्रार्थना की थी।

इसी प्रकार, बृहदारण्यक उपनिषद में विदेह के राजा जनक की सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच उच्च स्तरीय दार्शनिक बहस का उल्लेख है। इसके अलावा, तैत्तिरीय संहिता और मैत्रायणी संहिता में उल्लेख किया गया है कि संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाओं को भी सिखाया गया था।

प्रकाश के अनुसार, वीरमित्रोदय के संस्कार प्राचीन काल में दो प्रकार की लड़कियाँ थीं, पहली ब्रह्मवादिनी। ये महिलाएँ जीवन भर वेदों का ज्ञान प्राप्त करती थीं। बृहदारण्यक उपनिषद में दो ऐसे ब्रह्मवादियों का उल्लेख है। 1. याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी 2. गार्गी, जो याज्ञवल्क्य को पढ़ाती है। दूसरी बात यह है कि साधोवाहा ये महिलाएं शादी से पहले तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थीं और शादी के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थीं।

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति की प्रासंगिकताः –

वेद स्त्री को बहुत महत्वपूर्ण, गरिमापूर्ण, उच्च स्थान देते हैं। महिलाओं की शिक्षा का सुंदर वर्णन – वेदों में दीक्षा, शील, सदाचार, कर्तव्य, अधिकार और सामाजिक भूमिका दुनिया के किसी अन्य धर्मग्रंथ में नहीं मिलती है। वेद उसे घर की महारानी कहते हैं और देश का शासक बनने का अधिकार देते हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी की महारानी भी। वेदों में, एक महिला बलिदान है, अर्थात् एक यज्ञ की तरह पूजा की जाती है। वेदों में, ज्ञान देने वाली महिलाएं, सुख – समृद्धि, विशेष गौरव, देवी, विदुषी, सरस्वती, इंद्राणी, उषा – जो सभी को जागृत करती हैं, आदि को कई सम्मानजनक नाम दिए गए हैं। वेदों में महिलाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है – इसे हमेशा विजयिनी कहा गया है और उनके सभी कार्यों में सहयोग और प्रोत्साहन की बात की गई है। वैदिक काल के दौरान, महिलाएँ युद्ध के मैदान में शिक्षण से चली गईं। जैसा कि कैकेयी महाराज दशरथ के साथ युद्ध में गई थीं। लड़की को अपना पति चुनने का अधिकार देकर, वेद पुरुष से एक कदम आगे रखते हैं।

कई ऋषिक वेद मंत्रों के द्रष्टा हैं – अप्पला, घोषा, सरस्वती, सरपरगिनी, सूर्या, सावित्री, अदिति–दक्षिणायनी, लोपामुद्रा, विश्वमित्र, आत्रेयी आदि। हालांकि, वे, जो वेदों में भी नहीं गए थे, जिनमें से कुछ भी बुद्धिहीन हैं। इस देश की सभ्यता, संस्कृति को नष्ट – भ्रष्ट करने और नष्ट करने का अभियान चला – वेदों में महिलाओं की अवमानना की।

वैदिक काल के दौरान, महिला एक उच्च स्थिति में थी, वह लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकती थी। धर्मसूत्रों ने बाल विवाह का निर्देश दिया, ताकि महिलाओं की शिक्षा बाधित हो और उनकी शिक्षा सामान्य स्तर पर आए क्योंकि उन्हें लिखने और पढ़ने के अवसर नहीं मिले, जिसके कारण वेदों के ज्ञान को असंभव बना दिया गया। उनके लिए धार्मिक समारोहों में भाग लेना वर्जित था। उसका मुख्य कर्तव्य अपने पति का पालन करना था। महिलाओं के लिए विवाह को अनिवार्य बनाया गया था। विधवा विवाह पर निषेध जारी किया गया था। बहुविवाह – प्रथा अधिक प्रचलित हो गई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि महिलाओं की स्थिति वैदिक युग की तुलना में बाद के वैदिक काल में घटने लगी। स्मृति युग में, महिलाओं की स्थिति में अधिक अंतर था। स्मृति युग में, महिलाओं को केवल माता के रूप में सम्मान दिया जाता था, न कि पत्नियों के रूप में। इस युग में, विवाह की आयु को 12 या 13 वर्ष कर दिया गया था। शादी की उम्र कम होने के साथ शिक्षा कम होती गई। इस युग में महिलाओं के सभी अधिकार कम हो गए। स्मृतिकारों ने निर्देश दिया है कि किशोरावस्था के दौरान महिलाओं को स्वतंत्र नहीं रखा जाना चाहिए। एक महिला का परम कर्तव्य पति की परवाह किए बिना पति की सेवा माना गया। विधवाओं के पुनर्विवाह पर, गौहत्या निषेध लगाया गया था। सती को सर्वश्रेष्ठ माना जाने लगा।

निष्कर्षः –

उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि वैदिक काल में "महिलाओं की स्थिति समाज में काफी ऊंची थी और उन्हें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे धार्मिक क्रियाओं में भाग ही नहीं लेती थीं बल्कि, क्रियाएं संपन्न कराने वाले पुरोहितों और ऋषियों का दर्जा भी उन्हें प्राप्त था ।" उस समय महिलाएं धर्म शास्त्रार्थ इत्यादि में पुरूषों की तरह ही भाग लेती थी । वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठानों, और सामाजिक गतिविधियों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। वे सभा और समितियों में भाग लेती थीं, और कुछ महिलाएँ तो विदुषी भी थीं, जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और वे वेदों का अध्ययन करती थीं। कई महिलाएँ विदुषी थीं और उन्होंने ऋग्वेद में मंत्रों की रचना की, जैसे कि घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, और विश्ववारा । महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेने की अनुमति थी। वे यज्ञों में भाग लेती थीं और कुछ महिलाएँ तो पुरोहित भी थीं। सामाजिक रूप से, महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। उन्हें सभा और समितियों में भाग लेने की अनुमति थी, और वे अपने जीवनसाथी का चुनाव स्वयं कर सकती थीं। हालांकि, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में कुछ गिरावट आई। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएँ शुरू हो गईं, लेकिन वैदिक काल में महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त नहीं थे । कुल मिलाकर, वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और सम्मान प्राप्त था, और वे समाज के सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं.

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

मैक्समूलर थ. ऋग्वेद सायण भाश्य सहित सम्पादक, 1890–92, 5 भाग वैदिक संशोधन मण्डल–पूना।

ग्रिफिथ त.ज.थ. बनारस 1867 अथर्ववेद द्वारा अनुवादित स्वाध्याय मण्डल–

ग्रिफिथ त.ज.थ. यजुर्वेद द्वारा अनुवादित स्वाध्याय मण्डल – बनारस 1899

स्वामी गोविन्द बौद्धायन धर्मसूत्र के विवरण सहित ळवअज. ओरिएन्टल लाइब्रेरी सीरीज, मैसूर।

शास्त्री श्याम बौद्धायन ग्रहसूत्र ळवअज. ओरिएन्ट लाइब्रेरी सीरीज, मैसूर।

हरदन्त गौतम सूत्र की टीका सहित आनन्द आश्रम पूना।

फयूहरर स. वशिष्ठ धर्मसूत्र बम्बई संस्कृत सीरीज ।

रतिभानु सिंह नाहरः पूर्व–मध्ययुगीन सभ्यता और संस्कृति, पेज नंबर 683 , 685 ।

ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और महाभारत से

वी. डी. शुक्लाः पूर्व–मध्यकालीन संस्कृति और जीवन, पृ। 304 और पी। 309

वासुदेवशरण अग्रवालः भारतीय संस्कृति, पृष्ठ 96 और पृष्ठ 98

डॉ. एस कपूरः भारत में पुनर्जागरण, पृष्ठ सँख्या 36 , 37 ।

कालीशंकर भटनागरः भारतीय संस्कृति का इतिहास, पृष्ठ सँख्या 38 , 301 , 308 ।

पी. वी. केनः धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग – 1,

महिला स्वतंत्र – मनुस्मृति –4 / 3

त्रिपाठी, कुसुम , महिलाओं की दशा और दिशा। कुरुक्षेत्र। अंक, मार्च 2010 ।

महला, अरविंद और सुरेंद्र कटारिया – भारत में महिला सशक्तिकरणः प्रयास और बाधाएँ , मलिक एंड कंपनी। जयपुर। 2013. पी। 262।

दिनकर, रामधारी सिंह। संस्कृति के चार अध्याय

विमल कुमार , रामधारी सिंह दिनकर की रचना।

द्विवेदी, कपिल देव , वैदिक साहित्य और संस्कृति

डा. जाली सा. विष्णु धर्म सूत्र कलकत्ता 188

भट्ट कुल्लुक मनु स्मृति की टीका सहित, निर्णय सागर बम्बई।

गोविन्दराम, मेघातिथि, सर्वज्ञनारायण राघवानन्द मनुस्मृति व अन्य टीका सहित सम्पादक विश्वनाथ मांडलिक ।

डा. पाली नारद स्मृति कलकत्ता 1885

गायकवाड़ आपंगार रंगास्वामी सं. सीरीज बड़ौदा 1941 ब्रहस्पति स्मृति ओरिएण्टल

महाभारत (समस्त खण्ड) गीता प्रेस गोरखपुर।

श्रीमद्भागवत्, भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर।

पद्मपुराण आनन्दाश्रम प्रेस पूना।

मत्स्य पुराण आनन्दाश्रम प्रेस पूना।

भगवत पुराण निर्णय सागर प्रेस बम्बई।

हरिवंश पुराण स. भारतीय ज्ञान पीठ काशी 1962

आप्टे हरिनारायण सं. अग्नि पुराण आनन्द आश्रम संस्कृत सीरीज पूना 1900